11.

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अकादमी/पीएचडी/2015/ 3549 दिनांक : 31-1-15

प्रति

श्री देवेन्द्र कुमार कोली,
पुत्र श्री चतुर्भुज कोली,
फिल्टर रोड, करैरा,
जिला शिवपुरी (म.प्र.) 476360

विषयः- समाजशास्त्र विषय मे शोध पंजीयन के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2014 एवं महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित पत्र दिनांक 10.12.2014 के संदर्भ में आपके प्रकरण पर कुलपति द्वारा गठित समिति ने पुनः परीक्षण करने पर पाया गया है कि विश्वविद्यालय कार्यालय (शोध शाखा) की कार्यालयीन त्रुटि के कारण आपको शोध उपाधि समिति की बैठक की सूचना प्रेषित नही की गई है। कार्यालयीन त्रुटि के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों को चेतावनी दी जा रही है कि वे भविष्य में पूर्ण सतर्कता एवं नियमानुसार कार्य संपादित करे अन्यथा उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

कार्यालयीन त्रुटि के कारण आप दिनांक 14.06.2013 को आयोजित शोध उपाधि के समक्ष उपस्थित नही हो सके है। पी-एच.डी. अध्यादेश 11 के प्रावधानानुसार शोध उपाधि समिति के समक्ष उपस्थित हुए बिना शोध शीर्षक मान्य करने के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव नही है ऐसी स्थिति में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि शोध उपाधि समिति की आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से आमंत्रित कर अपेक्षित कार्यवाही की जावेगी।

शोधार्थी हित को दृष्टिगत रखते हुए आगामी शोध उपाधि की बैठक नियमानुसार यथा शीघ्र आहूत की जावेगी। उक्त संबंध में पूर्व में भी विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3399ए दिनांक 24.11.2014 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है। सर्व सुविधा हेतु संबधित पत्र संलग्न है।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, गृह मंत्रालय/मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भोपाल।
5. अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, भोपाल।
7. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
9. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
10. जिलाधीश जिला ग्वालियर एवं शिवपुरी।
11. पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर एवं शिवपुरी।,
12. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

13. डॉ. माधवी अग्निहोत्री, शोध मार्गदर्शक (विभागाध्यक्ष), समाजशास्त्र, कुसुमबाई जैन कन्या महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.) की ओर इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे शोधार्थी को सही दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।
14. श्रीमती सीमा कोली पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार कोली, फिल्टर रोड, करैरा, जिला शिवपुरी।
15. श्री संजय बरतरिया, वेबसाइड समन्वयक, को इस निर्देश के साथ कि वे संलग्न पत्र को विश्वविद्यालय की बेबसाइड पर अपलोड करे।

S Cheala

उप-कुलसचिव अकादमी

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक :जीविवि/अकादमी/शोध/2014/3399(A) दिनांक : २५.११.१५.

प्रति,

श्री देवेन्द्र कुमार कोली,

शोधार्थी समाजशास्त्र,

फिल्टर रोड, करैरा,

जिला शिवपुरी

विषय :- समाजशास्त्र विषय में प्रस्तुत शोध आवेदन पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन दिनांक 15.10.2014 के संदर्भ में आपके प्रकरण का परीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ है कि आप दिनांक 14.06.2013 को आयोजित शोध उपाधि समिति के समक्ष उपस्थित नही हुए अध्यादेश की व्यवस्थानुसार शोध उपाधि समिति के समक्ष उपस्थित हुए बिना शोध शीर्षक मान्य करने/न करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना संभव नही है। ऐसी स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप शोध उपाधि समिति की आगामी बैठक में सम्मिलित होवे ताकि आपके प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही की जा सकें। विश्वविद्यालय सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये एवं छात्र हित में आगामी शोध उपाधि समिति की बैठक शीघ्रातिशीघ्र आहूत करने का प्रयास कर रहा है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. मानवाधिकार आयोग, भोपाल।
3. अनुसुचित आयोग, भोपाल ।
4. कलेक्टर, जिला ग्वालियर।
5. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र,ग्वालियर।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर।
7. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक ।
8. श्रीमती सीमा पत्नी देवेन्द्र कोली, निवासी फिल्टर रोड, करैरा।

उप-कुलसचिव (अकादमी)